

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ 2(470)सू.प्रौ./संस्था/2000/ 2/31430/2015

जयपुर, दिनांक : 28/04/2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के कर्लक ग्रेड-11 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों की विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 30746/2015 दिनांक 06.04.2015 के द्वारा दिनांक 01.04.2015 की स्थिति दर्शाते हुए इकजाई सामयिक (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निर्धारित की गई थी। उक्त सामयिक वरिष्ठता सूची के विरुद्ध प्रभावित कर्मचारियों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं दर्शाई जाने के कारण अंतिम (Final) वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार जारी की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	स्थाई/अस्थाई	जन्म तिथि	चयन का माध्यम	विशेष विवरण
1-	सुश्री मनीषा राठौड	अस्थाई	23.08.92	मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति वर्ष 2012-13	
2-	श्री सनवीर सिंह राठौड	अस्थाई	03.09.82	मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति वर्ष 2012-13	
3-	श्री विशाल सिंह राठौड	अस्थाई	07.03.89	मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति वर्ष 2012-13	
4-	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	अस्थाई	26.11.93	मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति वर्ष 2012-13	
5-	श्री सुरेन्द्र कुमार	अस्थाई	5.1.1988	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में चयनित (दो वर्ष का परीवीक्षाकाल, नियत पारिश्रमिक पर) वर्ष 2013-14	
6-	श्री भगवान सिंह	अस्थाई	29.08.68	पदोन्नति वर्ष 2013-14	
7-	श्री अरुण कुमार कुमावत	अस्थाई	07.04.92	मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबंधी नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति वर्ष 2013-14 (दो वर्ष का परीवीक्षाकाल, नियत पारिश्रमिक पर)	

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. संबंधित निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन